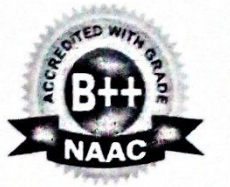




ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow

(Uttar Pradesh State Government University)



संख्या-२०१५ / भावि वि / कुसका / २०२६

दिनांक ०६ अक्टूबर, २०२६

1. डॉ० काकुल हाय, सहायक आचार्य (अस्थायी), मनोविज्ञान विभाग, मो०-९९१९९६२८८८
2. डॉ० हेमा पाठक, सहायक आचार्य (अस्थायी), मनोविज्ञान विभाग, विधि विभाग, मो०-९३३६३१५६५८
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को समय-समय पर विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, व्यक्तिगत, सामाजिक एवं अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों की ऐसी समस्याओं के समयबद्ध निराकरण तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र व्यक्तित्व विकास को ध्यान में रखते हुए उनकी काउंसलिंग किया जाना नितान्त आवश्यक है।

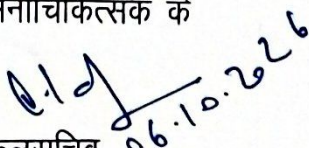
इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित याचिका CRIMINAL APPEAL NO. 1425 OF 2025 (Arising out of L.P. (Criminal) No. 13324 of 2024) AMIT KUMAR & ORS..... APPELLANT (S) VERSUS UNION OF INDIA & ORS... RESPONDENT (S) एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा विद्यार्थियों की मेंटल हेल्थ और पैल-बीइंग के सम्बन्ध में निर्गत गाइडलाइंस के अनुपालन में आपसे अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकतानुसार काउंसलिंग सेशन, जागरूकता कार्यक्रम, कक्षाएँ एवं कार्यशालाएँ आयोजित कराएँ। विशेष रूप से विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, परीक्षा संबंधी तनाव, कैरियर संबंधी मार्गदर्शन तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं आदि विषयों पर आवश्यक परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।

आप द्वारा आयोजित काउंसलिंग सेशन, कार्यशालाओं एवं अन्य संबंधित गतिविधियों का एक रजिस्टर बनाया जाय जिसमें विद्यार्थियों का सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाय और उसकी रिपोर्ट प्रत्येक माह की ०५ तारीख तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायी जाए।


(विकास)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. समस्त विभागाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने विभाग में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के संबंध में उपर्युक्त दोनों शिक्षिकाओं से समन्वय स्थापित करते हुए काउंसलिंग सेशन आयोजित करवाना सुनिश्चित करें।
4. एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय प्रेषित कि उक्त शिक्षिकाओं का नाम एवं मोबाइल नम्बर मनोचिकित्सक के रूप में विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित पत्रावली।


कुलसचिव ०६.१०.२०२६